

# लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर भोपाल 462021

दूरभाष-91-0755-2583650 फेक्स-91-0755-2583651

ई-मेल [est1-dpi@mp.gov.in](mailto:est1-dpi@mp.gov.in)

क्रं./स्था.1/सर्त./सी-1 /45/जबलपुर/2018/1091

भोपाल दिनांक

05/06/18

//आदेश//

श्री एन.के.चौकसे, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जबलपुर (मूल पद प्राचार्य शा.उ. मा.वि.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिलान्तर्गत हितग्राही छात्र-छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन एवं वितरण के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में गंभीर लापरवाही एवं अनियमितता की गई है।

श्री चौकसे का जिला शिक्षा अधिकारी, जबलपुर जैसे जिम्मेदार पद पर पदस्थ होकर उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतएव श्री एन.के.चौकसे को म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर रहेगा, एवं निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

2.

(जयश्री कियात) 8  
आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल दिनांक

05/06/18

पृ.क्रं./स्था.1/क्रं./सर्त./सी-1/45/जब./2018/1092  
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2- कलेक्टर, जिला जबलपुर।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर।
- 4- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर अतिरिक्त प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि श्री एन.के.चौकसे, को तामिल कराकर पावती संचालनालय को प्रस्तुत करें।
- 5- जिला कोषालय अधिकारी, जिला जबलपुर।
- 6- पी-टेबल स्थापना-1 की ओर सूचनार्थ।
- 7- श्री एन.के.चौकसे, प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जबलपुर की ओर पालनार्थ।
- 8- गार्ड फाईल।

आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.